

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के विनियमित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकाल स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु के नाम के समुच्चय अधिकांश स्थान पर सतकाल प्रभाव से किए जाते हैं -

| S.NO. | NAME | POST | SUBJECT | PRESENT POSTING PLACE | DISTRICT | TRANSFERRED POSTING PLACE | DISTRICT | TA/DA APPLICABLE |
|-------|------------------------|----------------------|---------|---|----------|--|----------|------------------|
| 1 | LATESH KUNWAR MEENA | Lecturer II Gr. I | History | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAIASANI (217770) | BHILAWAR | SMT PHOOLA DEVI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHODHRA MULLA MAHWA DAUSA (212223) | DAUSA | NO |
| 2 | RAMESH CHAND KARENA | Lecturer II Gr. I | History | SMT PHOOLA DEVI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHODHRA MULLA MAHWA | DAUSA | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHAIASANI (217770) | BHILAWAR | YES |

- 1 संचित व्याख्याताओं का कार्यालय/कार्यभार आवश्यक रूप से शाखा दर्पण के माध्यम से ही लिया जावे।
- 2 जिन व्याख्याताओं का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यभार/कार्यालय नहीं करवाया जायें।
- 3 RVRFS व्याख्याताओं को नगर विभाग/नगर परिषद/नगर पालिका/राष्ट्रीय पदस्थान स्थानान्तरण पर कार्यभार / कार्यभार नहीं करवाया जाये।
- 4 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्ण में व्यापक स्थान प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का विचारगमन ना कराये हुए सतकाल द्वारा कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 5 पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में न्यायस्थानित व्याख्याता को कार्यभार करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य स्वीक शिक्षा अधिकारी से आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यभार करें।



(गौरव अग्रवाल)

आर ९९४

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक - 08.08.22

क्रमांक - शिधिस/मा/संस्था/सी-2/इति.-माधिमि/स्थानान्तरण-पदस्थान/2022

पतिलिपि विनियमित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, भीकानेर।
- 6 सभुक्त शरण सचिव, शिक्षा (गुण-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संचित समुच्चय निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्य) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य स्वीक शिक्षा अधिकारी।
- 8 स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय राज।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर अनुभाग कार्यालय राज को विभागीय पोस्टराईट पर प्रकाशनार्थ।
- 10 अनुभाग अधिकारी, शाखा दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यभार/कार्यभार की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- 12 संचित सारवा प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाखा दर्पण को सतकाल अपडेट करायें।
- 13 संचित व्याख्याता।
- 14 सचिव, पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर